फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवान:-- रमनदेवी बनाम चमन आदि

अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. वाद संख्या 71 / 2025

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
5.2025	प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 251, आर. टी.ए. पेश किया। प्रार्थना पत्र में सरिस्ता रिपोर्ट हो चूकी है। मुताबिक सरिस्ता रिपोर्ट प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए. आर.टी.ए. के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.06..2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (सत्यनारायण आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी	
19/5/25	पत्रावली पेश हुई, प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गयी, प्रार्थी रमन देवी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया उक्त वाद/प्रार्थना पत्र में राजीनामा होने के कारण आगे कोई कार्यवाही करना नही चाहती है उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया, प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (सत्यनारायण RAS) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी	